क्रम-संख्या–108(ख–4)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 14 जुलाई, 2025

आषाढ़ 23, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग–1

संख्या 2916/9-1-2025-1818976-19सा-13टी0सी0

लखनऊ, 14 जुलाई, 2025

अधिसूचना

शुद्धिपत्र

प०आ०–198

शासन की अधिसूचना संख्या–2458 / 9–1–2025–1818976–19सा / 13टी0सी0, दिनांक 11 जुलाई, 2025 द्वारा कतिपय नगरीय निकायों में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए पदों को रिक्त घोषित किया गया था। उक्त निर्गत अधिसूचना की तालिका के क्रम संख्या–6 पर अंकित निकाय में रिक्त पद के संबंध में कतिपय लिपिकीय त्रुटि हो गयी है, जिसे निम्नानुसार संशोधित पढ़ा / समझा जायः–

क्रम-संख्या	निकाय का नाम	पद / वार्ड संख्या	पूर्व पद धारक का नाम	रिक्ति का कारण	रिक्ति का दिनांक
1	2	3	4	5	6
6	न0पा0प0 छिबरामऊ, जनपद कन्नौज	(सदस्य) / 23	श्री चन्द्रशेखर	(मृत्यु)	28 मार्च, 2025

2– उक्त के अतिरिक्त अधिसूचना की शेष बातें यथावत रहेगी।

आज्ञा से,
कृपा शंकर जैसवार,
अनु सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 259 राजपत्र (हि0)–(775)–2025–599+20=619 (डी0टी0पी0 / आफसेट)।